

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, गॉर्टन कैसल
शिमला - 171 003



Office of the Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh,
Gorton Castle, Shimla-171 003

परिपत्र (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), नागालैंड, कोहिमा में कल्याण सहायक के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार इस कार्यालय के पात्र एवं इच्छुक कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद हेतु स्वीकार्यता एवं पात्रता मापदंड निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	पद का नाम	पद की संख्या	पात्रता/
1.	कल्याण सहायक (लेवल-8)	01	Holding analogous post on regular basis, or Assistant Supervisors/ Sr. Auditors having three years' combined regular service in the grade

प्रतिनियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें:-

- प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा मुख्यालय कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगी।
- प्रतिनियुक्ति ले लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को **56 वर्ष** है।
- प्रतिनियुक्ति हेतु पात्रता मानदंडों को सुनिश्चित करने के पश्चात पात्र/ इच्छुक कर्मचारी अपना आवेदन पूर्ण बायोडाटा सहित निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिनांक **25.09.2026** तक प्रशासन अनुभाग में प्रस्तुत कर सकते हैं।
- '**Spouse Grounds**' पर आवेदन करने वाले कर्मचारियों को अपने जीवनसाथी का रोजगार विवरण आवश्यक प्रमाण-पत्र के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।
- विगत पांच वर्षों (2021-26) के APARs होना आवश्यक है।

अपेक्षित योग्यता नहीं रखने वाले या निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं होने वाले कर्मचारियों तथा जिन कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट नहीं है, के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन को अग्रेषित करने के संबंध में अंतिम निर्णय उम्मीदवार की उपयुक्तता और प्रशासनिक सुविधा के अधीन होगी।

परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

हस्ता०/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

पृ० सं०: प्रशासन/ले०प०/प्रतिनियुक्ति/अन्य कार्यालय/I/1616335/2026

दिनांक: 22-09-2026

प्रतिलिपि इस कार्यालय के संयुक्त ई-मेल (cag-audithp-all@ismgr.nic.in) पर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)